रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 230] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 1973/भाद्र 27, 1895

No. 230] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 1973/CHAITRA 27, 1895

इस भाग म भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि अलग संकलन के रुप में रखा जा सक ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 18th September 1973

G.S.R. 444(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) read with clause (h) of sub-rule (3), of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, and for securing the equitable distribution and availability of jute textiles at fair prices, hereby fixes the price mentioned in column (3) of the First Schedule appended to this Order as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said schedule shall be purchased or sold during the month of August, 1973.

Provided that the price so fixed in respect of the variety of jute textiles mentioned in Serial No. 1 of the First Schedule appended to this Order shall be reduced to the extent specified in column (2) or column (3) of the Second Schedule appended to this Order in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the Second Schedule.

Provided further that the prices specified in this Order are liable to be revised and finally fixed at such rate as may be determined by the Central Government after taking into consideration the recommendations of the Tariff Commission and the price so finally fixed shall be the price at which the supplier is entitled to be paid for deliveries made in the month.

Explanation.—For the purposes of this Order, the price specified in the First or Second Schedule appended to this Order shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

2. Nothing in this Order shall apply to any quantity of jute textiles which may be exported during the month specified in paragraph 1 pursuant to any contract entered into before the commencement of this Order.

THE FIRST SCHEDULE

S. No.	Category of jute bags	Maximum ex-factory price
(1)	(2)	(3)
	DW Flour Bags $43\frac{1}{2}'' \times 28''$ HD weight in proportion $56'' \times 28''$ HD, $2\frac{1}{2}$ lbs. per beg 7 × 9 or 8 × 8 plain dry sewn.	Rs. 216 16 per 100 bags.

THE SECOND SCHEDULE

Minimum breaking strength	Reduction in price per 100 bags.	
	warp way	weft way.
(1)	(2)	(3)
ISI Standard Breaking Strength	160 Kg.	165 Kg.
	Rs	Rs
160	—	0·55
155	0·39	1·02
150	1·06	1·50
145	1·62	2·11
140	2·24	3·42
135	2·86	4·27
130	3·42	—

[No. 18012/1/73-Tex(D)].

B. D. KUMARJt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1973

जी० एस० आर० 444(अ):—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 114 के उप-नियम (3) के खंड (च) के साथ पठित, उपनियम, (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, केन्द्रीय सरकार, ऐसी राय होने पर कि समाज के जीवन के लिए अन्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई तत्संबंधी सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से और पटसन वस्त्रों के न्यायोचित वितरण और उचित मूल्यों पर उसकी उपलब्धि के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और उचित है, एतद्द्वारा, इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित मूल्य, ऐसे अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य के रूप में निश्चित करती है, जिस पर उक्त अनुसूची के कालम 2 की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्में अगस्त 1973 के मास में खरीदी या बेची जाएंगी।

परन्तु इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची की संख्या 1 में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्म के बारे में इस प्रकार से निश्चित किए गए मूल्य को, इस आदेश से संलग्न द्वितीय अनुसूची के कालम (1) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट न्यूनतम धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रैथ) के अनुसार उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम (2) या कालम (3) में बताई गई सीमा तक घटाया जायेगा।

परन्तु आगे इस आदेश में निर्दिष्ट कीमतें शोधित की जा सकती हैं। और अंत में ऐसी दर पर निर्धारित की जाएंगी जो कि टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जाए तथा इस प्रकार अंतिम रूप से निर्धारित कीमत वह कीमत होगी जिस पर संरक्षक को उस मास में सुपुर्दगियों के लिए भुगतान प्राप्त करने का हक है

स्पष्टीकरण—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, इस आदेश से संलग्न प्रथम या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट मूल्यों में उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नहीं है, जिन्हें खरीददार को ही, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, एक्स-फैक्टरी मूल्य के अतिरिक्त अदा करना होगा

2. इस आदेश में दी हुई कोई भी बात पटसन वस्त्रों की ऐसी किसी भी मात्रा पर लागू नहीं होगी, जो इस आदेश के लागू होने से पहले किये गये किसी भी ठेके के अनुसरण में पैरा 1 में निर्दिष्ट मास के दौरान निर्यात की गई हो।

प्रथम अनुसूची

क्रम सं० (1)	पटसन के बोरों का दर्जा	अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य (2)
	डी डब्ल्यू आटे के बोरे 43" × 28" एच० डी० अनुपात के अनुसार वजन, 56 × 28" एच० डी० । 1½ पौंड प्रति बोरा, 7 × 9 या 8 × 8 सादा, खुश्क मिला हुआ। ।	रु० 216.16 रुपये प्रति 100 बोरे

द्वितीय अनुसूची

न्यूनतम धारण क्षमता (मिनिमम ब्रैकिंग स्ट्रेंथ)		प्रति 100 वारों के मूल्य में कमी	
		(ताने में)	(बाने में)
आई० एस० एस० स्टैन्डर्ड	(ब्रैकिंग स्ट्रेंथ)	160 किलोग्राम रुपये	165 किलोग्राम रुपये
	160	..	0.55
	155	0.39	1.02
	150	1.06	1.50
	145	1.62	2.11
	140	2.24	3.42
	135	2.86	4.27
	130	3.42	..

[सं० 18012/1/73-टैक्स (डी)]

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973